

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

अधिसूचना

पटना दिनांक... 11/04/2016

1/व3-58/2007 उ०शि०... 5.1.9/ अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान अधिनियम, 1964 एवं संशोधित अधिनियम-1989 की धारा 5 (2) के आलोक में श्री अशोक चौधरी, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को अगले आदेश तक अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य मंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(सुनिल कुमार सिंह)


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 1/व3-58/2007 उ०शि०... 5.1.9/

पटना, दिनांक... 11/04/2016

प्रतिलिपि:- दो प्रतियों में अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, पटना बिहार को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ (सी०डी० सहित) प्रेषित।

2. अधिसूचना की 100 प्रतियाँ विभाग के कार्यालय भेजने की कृपा करें।




सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 1/व3-58/2007 उ०शि०... 5.1.9/

पटना, दिनांक... 11/04/2016

प्रतिलिपि:- श्री अशोक चौधरी, अध्यक्ष, अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 1/व3-58/2007 उ०शि०... 5.1.9/

पटना, दिनांक... 11/04/2016

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, पटना/महामहिम राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/निदेशक, अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना/कुलसचिव, अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना/निदेशक, (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा-14 एवं 15 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।